

## कार्यालय आदेश,

एतद् द्वारा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (शिकायत निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्राविधानानुसार कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों के निवारण हेतु निम्नवत् आन्तरिक परिवाद समिति का गठन किया जाता है। -

1- श्रीमती काजल, वरिष्ठ सहायक	-	अध्यक्ष
2- श्री लक्ष्मण सिंह, सफाई निरीक्षक	-	सदस्य
3- शान्ता गुरुरानी, सिटी मिशन मैनेजर	-	सदस्य
4- श्रीमती दीपा जोशी, डाटा इन्ट्री आपरेटर, डे-एन0यू0एल0एम0	-	सदस्य
5- श्री कमल किशोर कपिल, कनिष्ठ सहायक	-	सदस्य
6- श्रीमती बसन्ती बिष्ट, अनुसेवक	-	सदस्य

उक्त आन्तरिक परिवाद समिति नियमित बैठकें आयोजित करते हुए कार्यालय नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा से सम्बन्धित कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों की सूचना उनके निस्तारण की स्थिति एवं आख्या/संस्तुति अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगी।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(भरत त्रिपाठी)  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।

पत्रांक 121/30-1 (2023-24) दिनांक 07 मई, 2024।

प्रतिलिपि:-

- 1- प्रशासक, नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उपरोक्तानुसार गठित आन्तरिक परिवाद समिति के पदाधिकारियों को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- श्री कमल किशोर कपिल, कनिष्ठ सहायक को इस निर्देश के साथ कि उक्तानुसार आदेश को पालिका बैबसाइट में प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 4- गार्ड फाइल हेतु।

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा।